पी.ए.सी. /अति आवश्यक

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"पंजीयन भवन" अजमेर

क्रमांकः एफ–7(482)मुख्य/विधि/2017/ 4589 दिनांकः 30-11-17

विषयः– मुद्रांक प्रकरणों के निर्धारित अवधि में निस्तारण के क्रम में।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–35, 37, 51, 53 व 55 में दर्ज मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण **राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम–64, 65, 66 एवं 67 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अनुसार कलक्टर(मुद्रांक) के द्वारा मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में किया जाना आवश्यक है।**

इस संबंध में विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ–7(482)मुख्य/विधि/2016/2864–2869 दिनांक 05.12.2016, 4455–4970 दिनांक 29.12.2016, 1037–1586 दिनांक 11.07.2017 व 3137–3737 दिनांक 16.08.2017 के द्वारा कलक्टर(मुद्रांक) को समय–समय पर निर्देशित किया गया, कि मुद्रांक प्रकरणों का दर्ज होने के 90 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जावें। उक्त निर्देशों के उपरान्त भी कलक्टर(मुद्रांक) द्वारा मुद्रांक प्रकरणों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 90 दिवस की अवधि ने निस्तारण नहीं किया जा रहा है। मुद्रांक प्रकरणों का 90 दिवस की अवधि में निस्तारण नहीं करने के कारण राज्य सरकार को मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राजस्व आय समय पर प्राप्त नहीं हो रही है, तथा पक्षकारों को भी अनावश्यक परेशनी का भी सामना करना पड़ता है। **जनलेखा समिति की बैठक दिनांक 27.11.2017 से 29.11.2017 में भी मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया जाकर तीन माह की अवधि में निस्तारण हेतु निर्देशित किया है।**

कलक्टर(मुद्रांक) से प्राप्त सूचना के अनुसार 90 दिवस से अधिक अवधि के **लम्बित मुद्रांक प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार हैः–**

प्रथम सूची

क्र.स.	उप महानिरीक्षक	90 दिवस से अधिक अवधि के बकाया प्रकरणों की संख्या	स्थगन आदेश के कारण लम्बित प्रकरण	शेष (90 दिवस से अधिक अवधि के बकाया प्रकरणों संख्या)
1.	हनुमानगढ़	117	01	116
2.	बीकानेर	42	27	15
3.	पाली	07	07	00
4.	सीकर	175	00	175
5.	भीलवाड़ा	134	00	134
6.	जयपुर–प्रथम	305	00	305
7.	बांसवाड़ा	46	00	46
8.	जयपुर–द्वितीय	140	00	140
9.	जोधपुर	69	64	05
10.	भरतपुर	56	02	54
11.	अलवर–द्वितीय	120	02	118
12.	जयपुर–तृतीय	242	05	237
13.	अजमेर	623	01	622
14.	उदयपुर	78	02	76
15.	बाडमेर	00	00	00
16.	अलवर–प्रथम	50	05	45
17.	कोटा	92	00	92
	योग	**2296**	**116**	**2180**

अतः उपरोक्त मुद्रांक प्रकरणों के निस्तारण हेतु कलक्टर(मुद्रांक) का मुद्रांक प्रकरण निस्तारित करने हेतु निम्नानुसार लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है:–

द्वितीय सूची

क्र. स.	कलक्टर(मुद्रांक)	शेष (90 दिवस से अधिक अवधि के बकाया प्रकरणों संख्या)	90 दिवस से अधिक अवधि के बकाया प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवंटित लक्ष्य		
			माह दिसम्बर, 2017	माह जनवरी, 2018	माह फरवरी, 2018
1.	हनुमानगढ़	116	39	39	38
2.	बीकानेर	15	15	00	00
3.	पाली	–	–	–	–
4.	सीकर	175	59	58	58
5.	भीलवाड़ा	134	45	45	44
6.	जयपुर–प्रथम	305	102	102	101
7.	बांसवाड़ा	46	23	23	00
8.	जयपुर–द्वितीय	140	47	47	46
9.	जोधपुर	05	05	00	00
10.	भरतपुर	54	27	27	00
11.	अलवर–द्वितीय	118	40	40	38
12.	जयपुर–तृतीय	237	79	79	79
13.	अजमेर	622	208	207	207
14.	उदयपुर	76	26	25	25
15.	बाडमेर	00	00	00	00
16.	अलवर–प्रथम	45	23	22	00
17.	कोटा	92	31	31	30
	योग	**2180**	**769**	**745**	**666**

उपरोक्त प्रथम सूची में जिन मुद्रांक प्रकरणों में स्थगन आदेश के कारण निस्तारण की कार्यवाही लम्बित है, उनमें स्थगन आदेश खारिज करानें की कार्यवाही संबंधित कलक्टर(मुद्रांक)/उप पंजीयक(प्रभारी अधिकारी) के द्वारा संबंधित राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय में स्थगन आदेश खारिज कराने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मय प्रतियों के मुख्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जावें। न्यायालय का स्थगन आदेश खारिज होने की स्थिति में उक्त लम्बित मुद्रांक प्रकरण को माह फरवरी, 2018 तक अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जावें।

अपने–अपने कार्यालय में लम्बित मुद्रांक प्रकरणों की कार्ययोजना बनाकर कलक्टर(मुद्रांक) यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान में 90 दिवस की अवधि से कम अवधि के लम्बित मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण 90 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से कर दिया जायें। कोई भी नया प्रकरण 90 दिवस की अवधि में निस्तारण से लम्बित न रहे। DIG Module में भी नियमित इन्द्रांज सुनिश्चित करवाया जावें।

राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्देशित किया गया हैं, कि उक्त आदेशों की शत–प्रतिशत पालना करते हुए माह फरवरी, 2018 में **"कार्य पूर्ण प्रमाण–पत्र"** प्रस्तुत किया जावें तथा निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावें।

अतः उपरोक्त निर्देशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करावें।

11/12/17

(डॉ. राजेश शर्मा)
महानिरीक्षक,

kunal/desktop/ALR

क्रमांकः एफ–7(482) विधि/विविध/2017/ 4590 – 5139 दिनांकः 30-11-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को पत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
8. समस्त उप पंजीयक(पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
9. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
10. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर
11. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)

kunal/desktop/ALR